संख्या-3380/14.2.2014.800(137)/2014

प्रेषकए

लालजी राय,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

मुख्य वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन अनुभाग.2 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

विषय. गाजयिबादा विकास प्राधकिरण द्वारा नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत हिण्डन कट कैनाल में 6 लेन एलीवेटेड रोड निर्माण हेतु 0.385 हे0 संरक्षति वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 320 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-566/11सी-गाजियाबाद दिनांक 09 अक्टूबर 2014 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या- 8बी/यू पी/06/71/2014 एफसी/1029, दिनांक 26-09-2014 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या- 8बी/यू पी/06/71/2014 एफसी/1029, दिनांक 08-10-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि श्री राज्यपाल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत हिण्डन कट कैनाल में 6 लेन एलीवेटेड रोड निर्माण हेतु 0.385 हे0 संरक्षति वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 320 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबंधों को सम्मिलित करते हुये स्वीकृत प्रदान करते हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात 3200 वृक्षों वृक्षारोपण
भा0स0 एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानो पर
भा0स0 यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढी
भा0स0 हुयी दर की अतिरिक्त् राशि जमा करनी होगी।

(5) परियोजना के रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की
भा0स0 क्षति नही पहुंचयी जायेगी।

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
भा0स0

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(7) प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं
भा0स0 भरने का कार्य नही किया जायेगा।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा टांन्समिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरी स्टाफ को
भा0स0 रसोई गैंस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिसमें निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार
भा0स0 का कैम्प नही लगाया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण के प्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया
भा0स0 जायेगा।

(11) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा
भा0स0 किया जायेगा और आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की
भा0स0 स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत
भा0स0 आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पृ संख्या-5-3/2007एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-98/-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-
भा0स0 निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (एस एच पी) फाइल में दर्शाया गया हो।

(15) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति
भा0स0 प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(16) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority)में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(17) प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियो से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(18) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा।

(20) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे0 11013/41/2006-।ए-।। (।), दिनांक 02 दिसम्ब, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया हैं।

(21) प्रस्तावित हवनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षो का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कट्रिग, फैलिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा1 यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित हैं1

(22) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाहीकर ली गयी हैं1

(23) समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(लालजी राय)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(3)- वन संरक्षक, मेरठ।
(4)- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
(5)- प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
(6)- अधिशासी अभियंता, जोन-2 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in/so/intra

(एम0एल0 शुक्ला)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra